रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 1974/वैशाख 30, 1896
No. 120] NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 1974/VAISAKHA 30, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th May 1974

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for April 1974—March 1975—Declaration to be furnished by manufacturer-exporters.*

No. 66-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. II) published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC(PN)/74, dated the 2nd April, 1974.

2. It has been decided that manufacturer-exporters applying for Import Replenishment licences/Release Orders (including applications made under the Simplified Procedure in terms of the Ministry of Commerce Public Notice No. 60-ITC(PN)/74, dated 1st May, 1974), 'Advance' licences, 'Imprest' licences and 'on account' licences under the Import Policy for Registered Exporters during April 1974—March 1975, should furnish, *inter alia*, the following declaration with their import applications:—

"I/we declare that we will not avail of the facility of repeat peration as provided in paragraph 55, Part 'B', Section I, of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. II) for the period April 1974—March 1975. The total value of REP licences and release orders obtained by us during 1973-74 against our own exports and covered by the facility of repeat operation is Rs. (value of licences/release orders to be mentioned). I/we also declare that

I/we have so far offered for adjustment (including the adjustment already made) REP entitlements of Rs. (mention here 75 per cent of the REP entitlements against the applications made on or after 1st April 1974 excluding the present application with which this declaration is being furnished. but including applications pending with the licensing authorities on 1st April, 1974 against which adjustment is to be made or has been made where adjustment has already been made, the actual amount adjusted should be taken into account while arriving at the value to be indicated here)".

(Strike off portions not applicable)

3. The aforesaid declaration should be furnished in respect of applications made on or after 1st April, 1974. If any applications have already been made before the issue of this Public Notice, the applicants should send immediately to the licensing authorities concerned the declaration in terms of this Public Notice in support of the said applications.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई, 1974

विषय.—अप्रैल, 1974—मार्च 1975 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति-विनिर्माता-निर्यातक द्वारा भेजी जाने वाली घोषणा ।

संख्या० 66-आई०टी०सी० (पी० एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 44-आई०टी०सी० (पी० एन)/74 दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अन्तर्गत जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक-वा०-2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि ,अप्रैल, 1974-मार्च 1975 के दौरान पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत वे विनिर्माता निर्यातक जो आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों/रिहाई आदेशों (वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 60—आई टी सी (पी एन)/ 74 दिनांक 1-5-1974 के अनुसार सरलीकृत क्रियाविधि के अन्तर्गत किए गए आवेदन पत्र भी शामिल है), 'अग्रिम' लाइसेंसों, 'अग्रदाय' लाइसेंसों एवं 'लिखा पर' लाइसेंसों के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे **अन्य बातों के साथ-साथ** आयात आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित घोषणा भी भेजें :—

"मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हम अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वा० 2) के खंड-1 के भाग 'बी' की कंडिका 55 में यथा व्यवस्थित पुनरावृत संचालन की सुविधा का उपयोग करेंगे / नहीं करेंगे । 1973-74 के दौरान हमारे द्वारा हमारे स्वयं के निर्यातों एवं पुनरावृत्त संचालन के अन्तर्गत प्राप्त किए गए आर ई बी लाइसेंसों एवं रिहाई आदेशों का कुल मूल्य ——————रुपये है (लाइसेंसों/रिहाई आदेशों का मूल्य दर्शाया जाना है) मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने समंजन के लिए अभी तक ——————रूपये की आर ई पी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव रखा है (इसमें पहले से किया गया समंजन भी शामिल है) (कृपया यहां 1-4-1974 को या इससे बाद में किए गए आवेदन पत्रों के मद्दे 75 प्रतिशत की आर ई पी

प्रतिपूर्ति का उल्लेख करें, किन्तु वह वर्तमान आवेदन पत्र जिसके साथ यह घोषणा भेजी जा रही है, उसे शामिल न करें, लेकिन उन आवेदन पत्रों को शामिल करें जो 1-4-1974 को लाइसेंस प्राधिकारी के पास विलम्बित पड़े हैं, जिनके मद्दे समंजन किया जाना है या किया जा चुका है। जहां समंजन पहले ही कर दिया गया है तो यहां संकेत किए जाने वाले मूल्य का निर्धारण करते समय समंजित वास्तविक धन राशि को ही लेखे में लिया जाना चाहिए)।

(जो भाग लागू न हो उसे काट दें)

3. उपर्युक्त घोषणा 1-4-1974 को या इससे बाद किए गए आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में भेजी जानी चाहिए। यदि कोई आवेदन पत्र इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने से पहले कर दिया गया है। तो आवेदक को चाहिए कि वह उक्त आवेदन पत्र तुरन्त ही इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार इस घोषणा को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को भेजें।

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1974—March 1975.*

No. 67-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. II) for the period April 1974—March 1975 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC(PN)/74, dated the 2nd April, 1974.

2. The item "Para toluene sulphonamide....B.11.1" appearing on page xxxi of Section IV of the aforesaid Red Book may be deemed to have been deleted.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति।

सं० 67—आई०टी०सी० (पी० एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 44—आ०टी०सी० (पी एन)/74 दिनांक 2 अप्रैल, 1974 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974 मार्च 1975 अवधि के लिए प्रकाशित की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 2) में निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. पूर्वोक्त रेडबुक के खण्ड 4 के पृष्ठ 31 पर प्रदर्शित मद "पारा टोलवीन सल्फोनेमाइड—बी. 11.1" हटा दी गई समझी जाए।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974